



सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु,

सिद्धार्थनगर—272202 उ०प्र०(भारत)

Website :www.suksn.edu.in, Email Id: registrar@suksn.edu.in

पत्रांक— 5190 / सि०वि०वि० / प०सा० / 2025

दिनांक 29-08-2025

सेवा में,

समस्त प्राचार्य/प्राचार्या

सहायता प्राप्त अशासकीय, राजकीय, स्ववित्तपोषित महाविद्यालय,

जनपद—सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, सन्तकबीरनगर, बस्ती, श्रावस्ती व बलरामपुर।

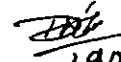
महोदय,

सिद्धार्थ विश्वविद्यालय परिसर एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों में वार्षिक प्रणाली अन्तिम वर्ष एवं सी०बी०सी०एस० प्रणाली(नॉन एन०ई०पी०) अन्तर्गत संचालित स्नातक/परास्नातक स्तर सम सेमेस्टर परीक्षा-2024-25 के संस्थागत/व्यक्तिगत/भूतपूर्व की प्रायोगिक/मौखिकी परीक्षा मा० कुलपति जी के आदेशानुसार दिनांक 04-09-2025 से दिनांक 10-09-2025 तक निर्धारित की जाती है।

अतः आप से अनुरोध है कि विश्वविद्यालय के पत्र सं० 4086/प.सा./सि०वि०वि०/2023 दिनांक 15-05-2023 द्वारा निर्गत निर्देश के क्रम में वार्षिक प्रणाली अन्तिम वर्ष एवं सी०बी०सी०एस० प्रणाली(नॉन एन०ई०पी०) अन्तर्गत संचालित स्नातक/परास्नातक स्तर सम सेमेस्टर परीक्षा-2024-25 की प्रायोगिक/मौखिकी परीक्षाएं दिनांक 04-09-2025 से दिनांक 10-09-2025 के मध्य सम्पन्न कर विश्वविद्यालय के वेबसाइट www.suksn.edu.in पर अपने कालेज लॉगिन आई०डी० से अंक फीड कराते हुए उसकी हार्डकापी तीन कार्यदिवस के अन्दर विश्वविद्यालय के परीक्षा (गोपनीय) अनुभाग में जमा कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक—यथोपरि।

भवदीय


29.08.25

परीक्षा नियंत्रक



पत्रांक— /तददिनांकित।

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त सम्बन्धित।
2. समस्त प्रभारी/विभागाध्यक्ष, सिद्धार्थ वि०वि० कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।
3. डॉ० अविनाश प्रताप सिंह, मीडिया प्रभारी/जनसम्पर्क अधिकारी, सि०वि०वि०क०,सि०
4. कुलसचिव/वित्त अधिकारी, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।
5. निजी सचिव, कुलपति, मा० कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
6. प्रभारी परीक्षा/कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि कृपया अनुदानित, राजकीय एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों के लॉगिन आई०डी० पर प्रदर्शित कराते हुए अंकों के आनलाइन फीडिंग की व्यवस्था सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।
7. सम्बन्धित पत्रावली में संरक्षित हेतु।

/

परीक्षा नियंत्रक



सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु,

सिद्धार्थनगर- 272202 उ०प्र० (गारत)

Website : www.suksn.edu.in, Email Id: registrar@suksn.edu.in

पत्रांक: 4086/प0सा0/सि0वि0वि0/2023

दिनांक 15.05.2023

सेवा में,

समस्त प्राचार्य/प्राचार्या

सहायता प्राप्त अशासकीय, राजकीय, स्वयत्तपोषित महाविद्यालय

जनपद-सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, रांताकवीर नगर, बरती, श्रावस्ती, बलरामपुर।

एवं

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रभारी, विश्वविद्यालय (परिसर)।

विषय-राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अन्तर्गत एवं पूर्व से सेमेस्टर प्रणाली के अन्तर्गत संचालित समस्त स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के सम सेमेस्टर 2023 एवं सत्र 2023-24 के विषय एवं सम सेमेस्टर तथा वार्षिक प्रणाली के अन्तर्गत संचालित अवशेष पाठ्यक्रम तथा छूटी हुयी प्रायोगिक/मौखिकी परीक्षा सम्पन्न कराने एवं आन्तरिक मूल्यांकन में अंक प्रदान करने हेतु दिशा निर्देश के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक माननीय कार्य परिषद के निर्णय दिनांक 15.05.2023 के सम्बन्ध में आपको अवगत कराना

है कि-

- 1-पाठ्यक्रम समिति द्वारा स्वीकृत सभी विषयों में प्रायोगिक/मौखिकी परीक्षा पूर्ववत् संचालित रहेगी।
- 2-जहाँ पाठ्यक्रम समिति द्वारा वाह्य परीक्षकों से प्रायोगिक/मौखिकी परीक्षा सम्पन्न कराने की संस्तुति की गयी हो वहाँ प्रायोगिक/मौखिकी परीक्षा आन्तरिक और वाह्य परीक्षकों के संयुक्त पैनल द्वारा ही सम्पन्न करायी जायेगी।
- 3-आन्तरिक परीक्षक सम्बन्धित महाविद्यालय के सम्बन्धित विषय का ही शिक्षक होगा। यदि किसी विभाग में एक से अधिक शिक्षक कार्यरत हो तो आपके द्वारा विभाग के वरिष्ठ शिक्षक से परामर्श कर चक्रानुक्रम से आन्तरिक परीक्षक नियुक्त किये जायेगे, परन्तु यदि किसी परिस्थिति विशेष में सम्बन्धित विषय का कोई शिक्षक महाविद्यालय में तत्काल उपलब्ध नहीं है तो आपके द्वारा अपने किसी नजदीकी महाविद्यालय के सम्बन्धित विषय के शिक्षक को आन्तरिक परीक्षक नामित कर प्रायोगिक/मौखिकी परीक्षा सम्पन्न करायी जायेगी।
- 4-विश्वविद्यालय द्वारा किसी प्रायोगिक/मौखिकी परीक्षा हेतु वाह्य परीक्षकों के नाम अब प्रेषित नहीं किये जायेगे। आपके द्वारा सम्बन्धित विभाग के वरिष्ठ शिक्षक से नाम मांगकर अपने निकटतम महाविद्यालय के सम्बन्धित विषय के शिक्षक को वाह्य परीक्षक नामित कर प्रायोगिक/मौखिकी परीक्षा सम्पन्न करायी जायेगी-

❖ वाह्य परीक्षक नामित करते समय आप द्वारा यह ध्यान रखा जायेगा कि वाह्य परीक्षक प्राथमिकता के आधार पर पहले सिद्धार्थ विश्वविद्यालय एवं इससे सम्बद्ध अनुदानित एवं राजकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों को ही बनाया जाए। उनके बाद सिद्धार्थ विश्वविद्यालय से सम्बद्ध स्वयत्तपोषित महाविद्यालयों के अनुमोदित शिक्षकों को फिर दूसरे विश्वविद्यालय के स्थाई/अनुमोदित स्वयत्तपोषित या अवकाश प्राप्त शिक्षकों को वाह्य परीक्षक बनाया जाय और साथ ही यह भी अनिवार्य रूप से ध्यान रखा जायेगा कि एक ही वाह्य परीक्षक आप द्वारा बार-बार नामित न किया जाय।

3

क्रमशः 02



सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु

सिद्धार्थनगर- 272202 उ०प्र० (भारत)

Website : www.suksn.edu.in, Email Id: registrar@suksn.edu.in

(02)

- ❖ एक शिक्षक एक शैक्षणिक सत्र में वाह्य परीक्षक के रूप में अधिकतम 15 बार परीक्षा करा सकते हैं।
- ❖ यदि आपके महाविद्यालय/विभाग में परीक्षार्थियों की संख्या अधिक है तो उसे 100 परीक्षार्थियों के समानुपात में अनेक बैच बनाकर ही परीक्षा सम्पन्न कराई जाये। सभी परीक्षार्थियों की परीक्षा एक ही वाह्य परीक्षक से न कराई जाय।

- ❖ एक बैच में अधिकतम 100-120 परीक्षार्थियों की ही परीक्षा सम्पन्न कराई जाय।

5-प्रायोगिक/मौखिक परीक्षा के अंक परीक्षा तिथि को ही विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर कालेज लागिन आईडी0 से ऑन लाइन फीड किये जायेंगे।

6-परीक्षकों द्वारा यदि किसी परीक्षार्थी को प्रायोगिक/मौखिक परीक्षा या आन्तरिक मूल्यांकन में 80% से अधिक अंक (जहाँ प्रथम श्रेणी 80% पर प्रदान किया जाता है) तथा 90% से अधिक अंक (जहाँ प्रथम श्रेणी 75% पर प्रदान किया जाता है) प्रदान किये जाते हैं तो ऐसे परीक्षार्थी "अति मेधावी" श्रेणी के माने जायेंगे और उनका परीक्षाफल तब तक घोषित नहीं किया जायेगा जब-तक ऐसे परीक्षार्थियों के प्रायोगिक/मौखिक पाठ्यक्रम के निर्धारित कार्यों की सम्पूर्ण फाइल (परीक्षकों एवं प्राचार्य/विभागाध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित), पूछे गये प्रश्नों की और परीक्षार्थी द्वारा दिये गये उत्तरों की विडियो रिकार्डिंग की CD/DVD/PEN DRIVE परीक्षा गोपनीय विभाग में ऑन लाइन फीड किये गये अंकों के हार्डकापी के साथ परीक्षा तिथि से तीन कार्य दिवसों के अन्दर जमा नहीं करा दिये जायेंगे। यदि तीन कार्य दिवस के अन्दर आप द्वारा उपरोक्त प्रपत्र परीक्षा गोपनीय विभाग में जमा नहीं कराया जाता है तो यह माना जायेगा कि यह अंक त्रुटिपूर्ण ढंग से फीड हो गया है और उसे स्वतः 80% अंक मान लिया जायेगा।

7-वाह्य परीक्षकों के पारिश्रमिक और यात्रा व्यय का भुगतान नियमानुसार विश्वविद्यालय द्वारा सम्बन्धित परीक्षक के खाते में ही किया जायेगा। सिद्धार्थ विश्वविद्यालय परिक्षेत्र के बाहर अधिकतम 300 किमी० से अधिक दूरी के वाह्य परीक्षकों को नियमानुसार वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी (टिकट प्रस्तुत होने पर) का किराया देय होगा। अतः प्रायोगिक परीक्षा के अंकों के ऑन लाइन फीडिंग की हार्डकापी के साथ ही अधिकतम तीन कार्य दिवस के अन्दर परीक्षकों के देयक प्रपत्र भी अग्रसारित कर परीक्षा गोपनीय विभाग के अवश्य जमा करा दे ताकि समय से देयक का भुगतान किया जा सके।

भवदीय


31/05/23
परीक्षा नियंत्रक

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त संकायाध्यक्ष, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।
2. निजी सचिव, कुलपति को कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ।
3. कुलसचिव/वित्त अधिकारी, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।
4. उप कुलसचिव (परीक्षा)/सहायक कुलसचिव (गोपनीय), सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।
5. प्रभारी, कम्प्यूटर सेल को इस आशय के साथ प्रेषित कि उपरोक्त सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाइट एवं समस्त महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालय के लॉगिन आईडी0 पर प्रदर्शित कराते हुए अंकों के ऑन लाइन फीडिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
6. सम्बन्धित पत्रावली में संरक्षित हेतु।


सहायक कुलसचिव (गोपनीय)